

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 26.09.2023

अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब एवं यूरिया के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के मार्गदर्शन में, थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज के नेतृत्व में 30 नवंबर 0 कृष्ण कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. रामभजन निषाद पुत्र रामलखन निषाद 2. त्रिपुरारी निषाद पुत्र स्व0 मल्ले निषाद 3. साधे निषाद पुत्र स्व0 असफी निवासीगण मूसाबार टोला बडुलिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 659/2023 धारा 272 भा0द0सं0 व 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

1. रामभजन निषाद पुत्र रामलखन निषाद निवासी मूसाबार टोला बडुलिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. त्रिपुरारी निषाद पुत्र स्व0 मल्ले निषाद निवासी मूसाबार टोला बडुलिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
3. साधे निषाद पुत्र स्व0 असफी निवासी मूसाबार टोला बडुलिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

40ली0 अवैध कच्ची शराब व 800ग्राम यूरिया व दो अदद पतीला छोटा-बड़ा व एक अदद पाईप

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 659/2023 धारा 272 भा0द0सं0 व 60(2) आबकारी अधिनियम

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30 नवंबर कृष्ण कुमार सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. का0 निलेश यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
3. का0 मनीष मौर्या थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
4. का0 सोनू यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
5. का0 दयाशंकर पटेल थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
6. म0का0 रौशनी देबी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
7. म0का0 शालिनी सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर